Rajasthan State Pollution Control Board
Central Laboratory, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone : 0141-5159699, 5159600 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

क्रमांक एफ 11 (594)/रा.प्र.नि.मं./प्रयोगशाला/ दिनांकः

राजस्थान राज्य में कार्यरत निजी प्रयोगशालाओं की विश्लेषण रिपोर्टों के सम्बन्ध में सूचना।

राज्य में स्थापित एवं कार्यरत समस्त निजी प्रयोगशालाओं को सूचित किया जाता है कि– राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने दिनांक 14.10.2014 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया था कि "राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल उन प्रयोगशालाओं की विश्लेषण रिपोर्ट को स्वीकार करेगा जो वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त है।"

राज्य मण्डल की जानकारी में आया है कि कई मान्यता प्राप्त निजी प्रयोगशालाओं द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्टों की गुणवत्ता सही नही है एवं कई आंकडे विरोधाभासी प्रतीत होते है।

अतः समस्त निजी प्रयोगशालाओं को चेतावनी दी जाती है कि यदि राज्य मण्डल को यह ज्ञात होता है कि प्रयोगशालाएं नियम–विरूद्व/गैर–अनुपालना में कार्य कर रही हैं या जिनके द्वारा अवैद्यानिक विश्लेषण रिपोर्ट जारी की जा रही है एवं सम्बन्धित उद्योग द्वारा इन रिपोर्टों को राज्य मण्डल में प्रस्तुत किया जा रहा है तो राज्य मण्डल द्वारा प्रयोगशाला/सम्बन्धित उद्योग के खिलाफ निम्न कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी :–

1. **राज्य मण्डल द्वारा प्रयोगशाला की मान्यता रद्द करने हेतु सम्बन्धित एजेंसी यथा (MoEF & CC/ NABL/CPCB) को सिफारिश कर दी जायेगी ।**
2. **राज्य मण्डल द्वारा ऐसी प्रयोगशालाओं को राजस्थान राज्य/ राज्य मण्डल हेतु ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा एवं सम्बन्धित एजेंसी (MoEF & CC/ NABL/CPCB) को भी उन प्रयोगशालाओं को ब्लैक लिस्ट करने हेतु सिफारिश कर दी जायेगी।**
3. **उक्त प्रयोगशाला/ सम्बन्धित उद्योग को जल अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए और वायु अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के तहत क्लोजर आदेश जारी किये जा सकेगें ।**
4. **पर्यावरण क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation) भी लगाया जा सकेगा।**
5. **प्रयोगशाला संचालक एवं प्रयोगशाला स्वामी (Owner) के विरूद्व पर्यावरण अधिनियमों के तहत न्यायालय में अपराधिक मुकदमा दायर करने की कार्यवाही की जा सकेगी।**
6. **अन्य कोई भी नियमसंगत विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।**

F11(594)रा.प्र.नि.म./प्रयोगशाला - 3717 दिनांक- 18/03/2020

(शैलजा देवल)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
(i) संयुक्त निदेशक (पी.आर.) रा.प्र.नि.म., जयपुर।
(ii) शाखा प्रभारी, आई.टी., रा.प्र.नि.म. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना, राज्य मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करें।

राजकुमार शर्मा
मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी

Scanned with CamScanner